न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/641 दर्ज तिथिः–18.08.2025

1. शिक्षा विभाग
   तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार (भू.अ.) गुड़ामालानी जिला बाडमेर

..............अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–स्वयं
अप्रार्थीगणः– सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2025

1. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत तरमीम दुरूस्ती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

   - मौजा कूड़ा के खसरा संख्या 8/1, 42/1 रकबा क्रमशः 0.3237, 0.4856 है0 भूमि गैर मुमकिन स्कूल को जरिये नामान्तरण क्र.स. 29 दिनांक 04.04.1989 को रा0 प्रा0 वि0 कूड़ा के शाला भवन, खेल मैदान मय चारदीवारी के आंवटित श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर के आदेश क्रमांक एफ/12/3/332/राज./88/112–17 दिनांक 03.01.1989 के अनुसार शाला भवन, खेल मैदान मय चारदीवारी हेतु आंवटित की गई थी। उक्त भूमि की तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस व भू–नक्शा में तरमीम नामान्तरण क्र.स. 29 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार ही है। जिसकी तरमीम दुरूस्त किया जना है।
   - कि नामान्तरण क्र.स. 29 की पुश्त के पीछे अंकित तरमीम अनुसार ही नक्शा लट्ठा व भू–नक्शे में तरमीम अंकित की गई है। परंतु विद्यालय भवन रा0प्रा0वि0 कूड़ा के निर्माण मय चारदीवारी के बिना पैमाईश व नक्शा लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम को नजरअंदाज किये बिना ही कर दिया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:47 IST
Reason: SelfAttested

जिससे नक्श लट्ठा व भू—नक्शा में अंकित तरमीम व वर्तमान में रा0प्रा0वि0 कूड़ा के खेल मैदान मय चारदीवारी एवं विद्यालय के भवन निर्माण की मौका स्थिति भिन्न है। वर्तमान भू—नक्शा तरमीम / लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुसार विद्यालय भवन बना हुआ नहीं है।

- कि खसरा संख्या 8 / 1, 42 / 1 की आंवटितशुदा भूमि वर्तमान मौका कब्जा विद्यालय भवन, खेल मैदान सहित चारदीवारी से घिरा हुआ है जिसकी तरमीम परिशिष्ट 'अ' में बरंब हरा में दर्शाए अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।
- कि आंवटित आदेश के अनुसार नामान्तरण संख्या 29 की पुश्त के पीछे अंकित नजरिया नकशा में अंकित तरमीम अनुसार ही नक्शा लट्ठा / भू—नक्शा में तरमीम अंकित की हुई है। जिसके अनुसार वर्तमान में रा0प्रा0वि0 कूड़ा का विद्यालय भवन व खेल मैदान मय चारदीवारी के मौके कब्जे अनुसार उक्त तरमीम भू—नक्शा / लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम से भिन्न मौका कब्जा होने से भू—नक्शा एवं लट्ठा ट्रेस में तरमीम निरस्त किया जाना उचित है।

2. प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

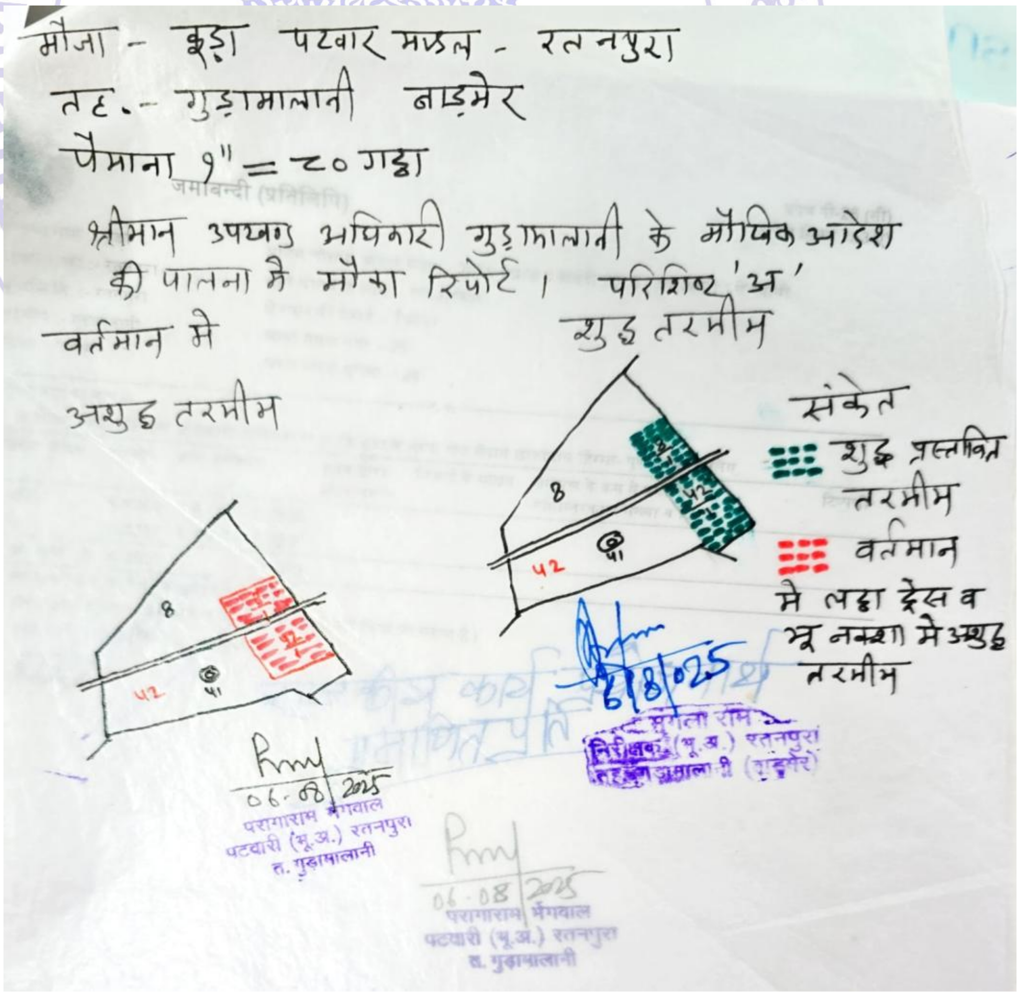

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:47 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शे तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शे द्वारा प्रस्तावित तरमीम से मौके की स्थिति का वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा सकेगा। उक्त प्रस्तावित तरमीम से विद्यालय तथा खातेदार की आराजी का रकबा प्रभावित नही हो रहा है बल्कि मौके पर स्थिति के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा रहा है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत तहसीलदार का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:47 IST
Reason: SelfAttested